

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर

क्रमांक:-सीएमएचओ/2011/12080-86

दिनांक:-23.11.2011

डॉ. दिनेश बिनावरा,
चिकित्सा अधिकारी प्रभारी,
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देशनोक।

विषय:-राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियम, 1958 के नियम 17 सीसीए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस।

विषयान्तर्गत लेख हैं कि श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, बीकानेर द्वारा दिनांक 23.11.2011 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देशनोक का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान आपके अधीन कार्यरत श्रीमति मंजू नवीन, जीएनएम (एनआरएचएम, अनुबन्ध) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देशनोक द्वारा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम की पालना नहीं करने तथा प्रसूता से बाहर से इंजेक्शन मंगवाया जाना पाया गया। जिसका आप द्वारा संतोषजनक जबाब नहीं दिया गया।

अतः आप उक्त प्रकरण के संबंध में नोटिस का प्रत्युत्तर तत्काल अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। ताकि श्रीमान् जिला कलक्टर, बीकानेर को अवगत करवाया जा सकें।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
बीकानेर

दिनांक:-23.11.2011

क्रमांक:- सीएमएचओ/2011/12080-86

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ:-

- 1-श्रीमान् जिला कलक्टर, बीकानेर को उनके द्वारा दिये गये मौखिक निर्देशों की पालना में।
- 2-श्रीमान् निदेशक(जन स्वा0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज0 जयपुर।
- 3-श्रीमान् अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज0 जयपुर।
- 4-श्रीमान् संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, बीकानेर जोन बीकानेर।
- 5-खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बीकानेर।
- 6-कनिष्ठ विशेषज्ञ प्रभारी, सामु0 स्वा0 केन्द्र, देशनोक।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
बीकानेर

*bio mlc
website ul,
upload on
23/11*

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर

क्रमांक:-सीएमएचओ/2011/12087-95

दिनांक :-23.11.2011

कार्यालय आदेश

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, बीकानेर द्वारा दिनांक 23.11.2011 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देशनोक का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि श्रीमति मंजू नवीन, जी.एन.एम., सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देशनोक द्वारा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम की पालना नहीं की जा रही है, प्रसूता से इंजेक्शन बाजार से कय करवाये गये। अतः श्रीमति मंजू नवीन, जी.एन.एम. को निर्देशानुसार तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

निलम्बन काल में इनका मुख्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बीकानेर के अधीन रहेगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
बीकानेर

क्रमांक:-सीएमएचओ/2011/12087-95

दिनांक :-23.11.2011

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-
- 1-श्रीमान् जिला कलक्टर, बीकानेर को उनके द्वारा दिये गये मौखिक निर्देशों की पालना में।
 - 2-श्रीमान् मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राज0 जयपुर।
 - 3-श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, बीकानेर।
 - 4-श्रीमान् अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज0 जयपुर।
 - 5-श्रीमान् संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें बीकानेर जोन बीकानेर।
 - 6-जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन.आर.एच.एम., कार्यालय हाजा।
 - 7-खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बीकानेर।
 - 8-कनिष्ठ विशेषज्ञ प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देशनोक को भेजकर लेख हैं कि उक्त कर्मचारी का समस्त रिकॉर्ड इस कार्यालय में भिजवावें।
 - 9-मंजू नवीन, जी.एन.एम, द्वारा प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देशनोक।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
बीकानेर